जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर।

सेवा में

प्रबंधक मार्डन ऐरा पब्लिक स्कूल,झालू रोड़ नहटौर,ब्लाक-आकू जनपद-बिजनौर।

पत्रांकः बेसिक / मान्यता / 1172-77 / 2016-17 दिनांक /6/05/16 नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया.

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं मार्डन ऐरा पब्लिक स्कूल,झालू रोड़ नहटौर,ब्लाक—आकू (बिजनौर) को दिनांक 01-04-2016 से दि0 31-03-2019 तक तीन वर्ष की अविध के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन

करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस -पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा।

सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उर्त्तीण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए (4) अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगाः

अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के (6) साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं,पाँच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें;

अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है,और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नहीं करेगें।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनिष्मों

PRINCIPAL
MODERN ERA PUBLIC SCHOOL
JHAIU ROAD, NEHTAUR, DISTI BIJNOR (U.P.)

Modern Era Public School NEHTAUR (Bijnor)

65

व निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-विद्यालय परिसर का क्षेत्रकल-8015.00 वर्ग मीटर कुल निर्मित क्षेत्र- मृतल 1355.48 वर्गमीटर, प्रथम तल 521.75 वर्ग मीटर कीवा-स्थल का क्षेत्रकल-6659,52 वर्ग मीटर वसाओं की संख्या-18 प्राच्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कश-02 (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है। पेयजल सुविधा-उपलब्ध है। (8) निड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है। बाधा रहित पहुँच-है। आयापन पठन सामग्री/कींडा खेलकृद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धाः—उपलब्ध है। विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कलाएं नहीं 10 विद्यालय भवनों या अन्य शंरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा। 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम् 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। 12 स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए। कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करे। विद्यालय ऐसी रिपॉट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी ग्रास अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी रातों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं। सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए। भवदीय जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी पुण्सां वेशिका विजनीर। /2016-17 तद्दिनांक। प्रतितिपि निम्नतिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-1—अपर रिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद। 2-समिव राप्पा, बेसिक शिक्षा परिषद् इसाहाबाद। 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल,मुरादाबाद। 4-जिला समाज कत्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कत्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कत्याण 5-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी जनपद-बिजनीर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनीर। MODERY ERA PUBLIC SCHOOL BALL Road, National, Distr. Bijvon (U.P.) Modern Era Public School NEHTAUR (Bijnor)